

निगा-5293/2018/सिना/कै 20

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

(म०प्र०)



1. मानवती पाण्डेय पत्नी श्री शोभनाथ पाण्डेय पौत्री स्व० श्री रामभरोसा उम्र 70 वर्ष,
2. शोभनाथ पाण्डेय तनय स्व० श्री रामकिशोर पाण्डेय दोनों निवासी ग्राम-रूगवा, तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म०प्र०)

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

रमाशंकर द्विवेदी पिता स्व० श्री संभू प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम-रूगवा, तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म०प्र०)

..... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959ई० विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-मौहारी कटरा, सीमांकन प्रकरण क्रमांक-305/अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 24-07-2018

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्राम-रूगवा, तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म०प्र०) स्थित खेतनामी सेमरहा जो आराजी नंबर-90, 91 एवं आराजी नंबर-94/1 किता 3 कुल रकवा ए० है। जो निगरानीकर्तागण के स्वत्व व आधिपत्य का खेत है। निगरानीकर्ता क्रमांक-1 रामभरोसा की पुत्री की पुत्री अर्थात् नातिन है जो रामभरोसा के कोई पुत्र संतान न होने के कारण उक्त रामभरोसा की समस्त सम्पत्तियों की बतौर

Yogesh K. Wani
30/08/2018

अधिकारी प्रदीप
विपरीत 24/30.8.18

राम शंकर द्विवेदी
निवासी ग्राम-रूगवा, तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक

निग.5293 / 2018 सतना / भू-रा0

जिला-सतना

मानवती पाण्डेय / रमाशंकर द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 305/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील अमरपाटन, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

